

# नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर मौजूदा और नियोजित उपाय

## संचार प्राधिकरण

संचार प्राधिकरण (सीए) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संचार प्राधिकरण अध्यादेश (चैप्टर 616) के तहत की गई थी। हांगकांग में प्रसारण और दूरसंचार उद्योगों के लिए और प्रसारण (विविध प्रावधान) अध्यादेश (चैप्टर 391) सहित संबंधित कानून लागू करना होता है। यह एक एकीकृत नियामक निकाय है जिसका उद्देश्य दूरसंचार अध्यादेश (चैप्टर 103), प्रसारण अध्यादेश (चैप्टर 562)

### संबंधित सेवाएं

- विभिन्न शैक्षणिक और प्रचार कार्यक्रमों की शुरुआत कर सीए के जरिए आम जनता को उपभोक्ता सूचना/सुझाव प्रदान किए जा रहे हैं।
- सीए टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के विरुद्ध टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रम मानकों के ऊपर अन्य बातों सहित नस्लीय समानता से जुड़े मुद्दों सहित अभ्यास संहिता का गैर-अनुपालन करने से जुड़ी शिकायतों पर निगरानी रख रहा है।

### मौजूदा उपाय

#### उपभोक्ता शिक्षा सूचना का प्रावधान

- उपभोक्ता शिक्षा जानकारी सीए की कार्यकारी शाखा, संचार प्राधिकरण कार्यालय (ओएफसीए) ([www.ofca.gov.hk](http://www.ofca.gov.hk)) की वेबसाइट पर हांगकांग की दो आधिकारिक भाषाओं (अर्थात् चीनी और अंग्रेज़ी) में उपलब्ध है। इसके अलावा, विविध जाति के लोगों के वास्ते ओएफसीए की वेबसाइट में आठ भाषाओं अर्थात् अंग्रेज़ी, बहासा इंडोनेशिया, हिन्दी, नेपाली, पंजाबी, टागालोग, थाई और उर्दू में सीए या ओएफसीए से पूछताछ करने, शिकायत दर्ज करने या सहायता प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने वास्ते एक समर्पित वेबपेज उपलब्ध कराया गया है। विविध जाति के लोग सीए द्वारा प्रदान उपभोक्ता शिक्षा जानकारी को आसानी से प्राप्त कर पाएं, इसके लिए वेबपेज पर टीवी घोषणाओं की सामग्री और उपरोक्त भाषाओं में संचार के उचित उपयोग के ऊपर उपभोक्ता सुझावों पर पत्रक भी उपलब्ध कराया गया है।

टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के विरुद्ध शिकायतों की निगरानी

- सीए ने टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रम मानकों के ऊपर कार्य संहिता जारी की है, जिसमें प्रसारण लाइसेंसधारी को अपने कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं करनी चाहिए जो जातीयता, राष्ट्रियता, नस्ल, लिंग, लैंगिक वरीयता, धर्म, आयु, सामाजिक हैसियत, या शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों या समूह/समूहों के प्रति नफरत या उसके डर को बढ़ावा देती हो, और/या आलोचनात्मक या अपमानजनक मानी जाती हो। कार्य संहिता का अनुपालन नहीं करने पर आम जनता सीए से प्रसारकों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज कर सकती है। शिकायत अंग्रेज़ी या चीनी भाषा में की जा सकती है और सीए ने विविध जाति के लोगों की सहायता वास्ते दुभाषिया सुविधा उपलब्ध कराई है। टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के बारे में सीए को की गई सभी शिकायतों पर कार्यवाही प्रसारण (विविध प्रावधान) अध्यादेश (चैप्टर 391) के अनुसार स्थापित तंत्र और प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। मामले की पुष्टि होने पर, सीए द्वारा उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जाएगा।

आगामी कार्य का मूल्यांकन

- विविध जाति के लोगों तक उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता संबंधित सूचना की समान पहुँच को बढ़ावा देने वास्ते, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
- विविध जाति के लोगों को समझ में आने वाली भाषा(ओं) में प्रासंगिक शैक्षणिक जानकारी उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।
- विविध जाति के लोगों सहित आम जनता द्वारा दूरसंचार सेवा का अधिक उपयोग किए जाने पर उपभोक्ता शिक्षा सूचना प्रमुख लक्षित ग्राहक समूह/समूहों की भाषा/भाषाओं में प्रदान किया जाएगा।

लागू किए गए/किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय

- *सीए ने प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों से संपर्क कर जाना है कि वे विविध जाति के लोगों द्वारा दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करते समय समानता को बढ़ावा देने वास्ते विभिन्न उपाय अपना रहे हैं।*
- *दूरसंचार ऑपरेटरों के मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर सीए द्वारा निगरानी रखी जाएगी।*
- *आवश्यकता पड़ने पर, सीए विविध जाति के लोगों को सहायता प्रदान करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क कर पता लगाएंगी कि विभिन्न समूहों को अपनी भाषा में दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के बारे में ग्राहक सूचना प्राप्त*

करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- सीए द्वारा लाइसेंसधारी दूरसंचार और प्रसारण ऑपरेटरों को आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न समूहों को उनकी भाषा में उपभोक्ता संबंधित जानकारी, जैसे अनुबंध, मूल्य की जानकारी और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका आदि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- नस्लीय समानता के प्रति स्टाफ के सदस्यों की जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए सीए प्रासंगिक कोर्स और सत्रों का आयोजन करेगा जिससे कि वे अपने अनुभव साझा कर पाएँ।

नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर मौजूदा और नियोजित उपायों से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के जरिए सुश्री सबीना वू, सहायक जन मामले प्रबंधक 5 से संपर्क करें -

टेलीफोन नं. : 2961 6777  
फैक्स नं. : 2803 5110  
ईमेल : [webmaster@ofca.gov.hk](mailto:webmaster@ofca.gov.hk)  
डाक पता : 29/एफ, वू चुंग हाउस, 213 क्वींस रोड ईस्ट, वान चाई, हांगकांग

**संचार प्राधिकरण**

**जून 2021**